भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 42

(जिसका उत्तर मंगलवार, 21 जुलाई, 2015 को दिया गया)

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्यकलाप</u>

42. श्री बी. के. हरिप्रसाद :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व शीर्ष के अंतर्गत निधि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसी कंपनियों को आबंटित और इनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में चलाई जा रही परियोजनाओं का स्वरूप और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): वर्ष 2014-15 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी) के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व शीर्ष के तहत आबंटित निधियां, उसका उपयोग तथा शुरू की गई परियोजनाओं की प्रकृति आदि का विवरण कंपनियों द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के अनिवार्य प्रकटीकरण (मेंडेटरी डिसक्लोजर) के बाद वर्ष 2015 के अंत तक मिलने की संभावना है।

*****